

देवघर समाहरणालय
(जिला भू-अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :-

०५/१५-१६/३०९
संख्या / भू अ०

दिनांक : ०९.०९.१५

चूँकि झारखण्ड सरकार / समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम :- **सिमरिया, थाना :- जसीडीह, थाना सं०-३८३, अंचल:- देवघर, जिला :- देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना देवघर हवाई अड्डा विस्तारीकरण हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम २(१)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम :- **सिमरिया, थाना :- जसीडीह, थाना सं० :- ३८३, अंचल:- देवघर, जिला :- देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश २४.५३ का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :-

क.स.	खाता सं.	सर्व भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)				
							उ०	द०	पू०	प०	
1	2	88	रैयती	धानी-१	0.46	प्रकाशनन्द झा वो देवानन्द झा वो पंचानन्द झा उर्फ ब्रह्मानन्द झा, पे०-स्व. भोलानाथ झा शिवानन्द झा, पे० स्व. मोहनानन्द झा।	खेसरा-३५,	खेसरा संख्या-८८,	मौजा-बाबुपुर संख्या-३८९	नदी	
2	3	42	रैयती	धानी-१	0.72	नेमो देवी, पति स्व० अंग्रेज महारा वो अंदु देवी वो पुन्दी देवी वो प्रतिमा देवी पे० स्व. बैकुण्ठ महारा					
3	3	43	रैयती	धानी-१	0.03	प्रसादी महारा पे०-स्व. कुजल महारा वो नबू महारा, पे०-स्व. लोचन महारा।					
4	3	44	रैयती	धानी-१	0.04						
5	3	48	रैयती	धानी-१	0.06						
6	3	49	रैयती	धानी-१	0.06						
7	3	56	रैयती	धानी-१	0.11						
8	3	57	रैयती	धानी-१	0.12						
9	3	45	रैयती	धानी-१	0.05		नागो दास, पे०-स्व. हरगोरी महारा				
10	3	51	रैयती	धानी-१	0.08		नागो दास, पे०				
11	3	55	रैयती	धानी-१	0.25	हरगोरी दास वो तालो दास वो अनंदु महारा वो ज्योतिष महारा, पे०- स्व. बौधी महारा।					
12	3	46	रैयती	धानी-१	0.08	महाराज महारा, पे०-स्व. दरवारी महारा वो सुगिया देवी पति स्व. विनोदी महारा।					
13	3	47	रैयती	धानी-१	0.06	मुनक महारा, पे०-स्व. गोहन महारा वो राजकपूर दास, पे०-					
14	3	50	रैयती	धानी-१	0.08						
15	3	53	रैयती	धानी-१	0.06						
16	3	59	रैयती	धानी-१	0.24						
17	3	52	रैयती	धानी-१	0.21						
18	3	58	रैयती	धानी-१	0.23						

						स्व०. फागो दास					
19	4	63	रैयती	धानी-1	0.89	आदित्य झा, पे०-स्व.					
20	4	69	रैयती	धानी-1	0.21	नसीवर झा वो रामानन्द झा, पे०- स्व. गंगा झा वो विद्या देवी पति स्व. बाबुसाहेब झा वो चन्द्रकेतब झा, पे०-स्व. नारायण झा					
21	4	82	रैयती	धानी-1	0.13	कामदेव झा वो					
22	4	70	रैयती	धानी-1	0.25	वासुदेव झा, पे. स्व. चन्द्रकान्त झा					
23	9	74	रैयती	धानी-1	0.20	बासुदेव दास वो राजकिशोर दास वो बिनोद कुमार दास, पे० श्री लालजी दास वो फंतु दास पे० स्व० बुट्टु महारा वो मंजू देवी पति स्व०					
24	9	77	रैयती	धानी-1	0.68	सीताराम दास वो अर्जुन दास पिता स्व. बच्चु दास वो बंदी दास वो बिजय दास पिता स्व. ठाकुर दास					
25	9	78	रैयती	धानी-1	0.09						
26	11	73	रैयती	धानी-1	0.15	कालीकानन्द मिश्र, पे० स्व० भोलानाथ मिश्र					
27	12	40	रैयती	धानी-1	0.95	तुलसी दास वो मुंशी दास, पे० स्व० गोविन्द दास वो बलदेव दास पे० स्व० डेगन महारा वो बंगलू दास पे० स्व० झकसु महारा वो अकलू महारा पे० स्व० केटकी महारा वो मोहन दास पे० स्व० नाश महारा वो दीनु महारा पे० स्व० छोटी महारा वो सुरेश दास वो अनिल दास वो अरुण दास पे० स्व० भगतु महारा वो पवन दास वो शैलेन्द्र दास वो कबीर दास पे० स्व० महथी महारा वो नरेश दास वो गोपाल दास पे० स्व० भगलू महारा वो महादेव दास वो पंचम दास वो मुचकुन्द दास पे० स्व० धातो महारा वो अयोध्या दास वो लक्ष्मण दास पे० स्व० हाड़ी महारा वो बिमली देवी वो केरवा देवी पे० स्व० दिगन महारा वो उपेन्द्र दास पे० स्व० हुसो महारा वो अलखी देवी पे० स्व० बुट्टु महारा वो शंकर महारा पे० स्व० जागेश्वर महारा वो पोलु दास पे० राम महारा वो जामुन दास पे० स्व० बाबुलाल महारा वो मटरू महारा पे० स्व०					

42	13	87	रैयती	धानी-1	2.43				
43	15/2	67	रैयती	धानी-1	0.81				
44	15/2	86	रैयती	धानी-1	0.16				
45	13	60	रैयती	धानी-1	0.98	श्यामनारायण झा वो प्रगति नारायण झा, पे0- स्व. सत्यनारायण झा वो गोपाल झा वो रविकिशन नारायण झा वो विनिशा झा, पे0 - जयप्रकाश झा।			
46	13	75	रैयती	धानी-1	1.12				
47	13	81	रैयती	धानी-1	0.43				
48	13	54	रैयती	धानी-1	1.20				
49	15	61	रैयती	धानी-1	0.23				
50	15	36	रैयती	बाड़ी-1	0.47				
51	15	72	रैयती	धानी-1	0.44	पंकज नारायण झा, पे0 सूर्यनारायण झा।			
52	13	83	रैयती	धानी-1	3.40	योगेश प्र0 झा वो मुन्नाकान्त झा वो राजेश प्र0 झा वो मुकेश प्र0 झा पे0-स्व. रुद्रनारायण झा।			
53	15	80	रैयती	धानी-1	0.21	दिलीप नारायण झा, पे0 स्व. सूर्यनारायण झा।			
54	15	$\frac{76}{142}$	रैयती	धानी-1	0.05				
55	14	71	रैयती	धानी-1	0.24	जगदीश दास वो गुनेश्वर दास, पे0 स्व. - मौजी महारा वो अशोक दास वो प्रदीप दास, पे0- स्व. जीवलाल दास वो जितु दास, पे0- स्व. मुड़ल दास।			
कुल रकवा					24.53				

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियों हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

अपर समाहर्ता,
देवघर।

ज्ञापिकांक ०५/१५-१६/३०९/ भू अ०, देवघर, दिनांक ०९.१०.१५

- प्रतिलिपि : निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को तीन प्रति में दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को तीन प्रति में दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान केन्द्र, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

०९/१०/१५
जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी
देवघर

अपर समाहर्ता,
देवघर।